सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2025 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
1	**बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की मांग से संबंधित।**	बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में विभिन्न बिन्दुओं यथा– • पंचायत सचिवों के ग्रेड–पे में संशोधन, • पंचायत सचिवों के पदोन्नति हेतु पद चिन्हित करने, • पंचायत सचिवों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदनाम परिवर्तन, • स्नातक पंचायत सचिवों की प्रोन्नति की उम्र सीमा 55 वर्ष समाप्त किये जाने (बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 में आवश्यक संशोधन), • पंचायत सचिवों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 का लाभ के लंबित मामले से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपर्युक्त बिन्दुओं के निष्पादन के लिए विभिन्न विभागों के नियमावलियों / प्रावधानों का अध्ययन कर विभाग स्तर पर विचार किये जाने हेतु सम्यक् प्रस्ताव के साथ संचिका उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–1 एवं 4)
2	**ग्राम पंचायतों के सचिवों का अंतर–जिला स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु Portal Develop किये जाने के संबंध में।**	बिहार ग्राम पंचायत (पंचायत सचिव का स्थानान्तरण–पदस्थापन) विनियमावली, 2025 के आलोक में सचिवों का अंतर–जिला स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु IT Team द्वारा **Portal Develop** किया जा रहा है। उक्त कार्य **एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर Rollout** करना सुनिश्चित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–4, / आई0टी0 मैनेजर / आई0टी0 कंसल्टेंट, बि0एस0पी0आर0आई)
3	**मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अंतर्गत भुगतान के संबंध में।**	मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अंतर्गत निरीक्षण हेतु Call raise किये जाने के आलोक में संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् एजेंसियों को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा में अंकित स्वीकृत राशि का **25 प्रतिशत राशि प्रावधानानुसार विमुक्त** किये जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन समीक्षा हेतु उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–3)
4	**पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु 5% राशि Mobilization Advance के रूप में दिये जाने के संबंध में।**	विभागीय पत्रांक–8247 दिनांक 01.07.2025 के आलोक में जिस ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है, वैसे पंचायतों को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु चयनित स्थल पर Layout किये जाने के उपरांत तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलित राशि का **5 प्रतिशत राशि Mobilization Advance** के रूप में उपलब्ध कराने हेतु **एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत्यादेश** पर अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार आवंटन निर्गत किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–2)

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
5	पंचायत सरकार भवन में फर्नीचर हेतु अद्यतन बाजार दर पर राशि का आकलन।	पंचायत सरकार भवन में फर्नीचर हेतु राशि का आकलन 5–6 वर्ष पूर्व किया गया था। महंगाई दर में वृद्धि के कारण वर्तमान परिस्थिति में फर्नीचर हेतु **अद्यतन बाजार दर के आलोक में राशि का आकलन** कर उच्च स्तरीय निर्णय के लिए उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
6	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन के संबंध में।	बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए ग्राम कचहरी न्यायमित्र के मेधा सूची के विरूद्ध नियोजन की **जिलावार, प्रखंडवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की लंबित सूची** तैयार कर विधिसम्मत् कार्रवाई हेतु उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–4)
7	अनुश्रवण कोषांग / अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (M&E)	**ई–ग्राम स्वराज** पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण (Qualitative Analysis) कर व्यय, वित्तीय नियमावली का पालन, Vendor के repetitive payment आदि के संदर्भ में **डाटा का विश्लेषण** कर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। अगली बैठक से पहले निश्चित रूप से समीक्षा हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये। (अनुपालन–श्री शरद, BSPRI/अनुश्रवण कोषांग)
8	तकनीकी सहायक द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण।	दैनिक आधार पर तकनीकी सहायक द्वारा किये जा रहे कार्यों (योजनाओं का निरीक्षण इत्यादि) का अनुश्रवण हेतु NIC की मदद से **शीघ्रताशीघ्र App Develop** किया जाये एवं तकनीकी सहायक के कार्यों का **दैनिक आधार पर अनुश्रवण** सुनिश्चित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–3 / अनुश्रवण कोषांग / आई0टी0 मैनेजर)
9	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद को राजपत्रित पद घोषित करने के संबंध में।	विभिन्न विभागों के, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के समकक्ष, प्रखंड स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी के पद राजपत्रित हैं अथवा नहीं, के संबंध में अध्ययन कर तुलनात्मक विवरणी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ संचिका उपस्थापित किया जाये। बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के पद सोपान में विसंगति (Anomaly) को दूर करने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–1)
10	बेल्ट्रॉन द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जा रहे कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 का अनुश्रवण	बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं गुणवत्तायुक्त यू0पी0एस0 का अनुश्रवण विभागीय **पत्रांक–4864 दिनांक 03.04.2025** में उल्लिखित **शर्त्तों** के आलोक में किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–2 एवं बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
11	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना।	(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत **Trainer Empanelment के लिए विज्ञापन / सूचना** (Education एवं Experience सहित) का प्रारूप परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI) के समक्ष उपस्थापित है। उच्च स्तरीय निर्णय हेतु सचिका उपस्थापित किया जाये। (ii) RGSA योजना के प्रावधान एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 का अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आलोक में **Turnkey basis** पर **कम्प्यूटर, फर्नीचर, डी.पी.आर.सी. में कम्प्यूटर लैब–सेटअप** करने एवं Manpower के संबंध में **Tender Document** तैयार कर Financial Clause पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार का मंतव्य एवं निविदा की Legal Vetting Legal Advisor/Consultant से कराकर समीक्षा हेतु प्रशाखा–2 के वरीय पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था के माध्यम से उपस्थापित किया जाये। (iii) BGSYS के पदाधिकारियों / कर्मचारियों का BSPRI (RGSA योजना के प्रावधानानुसार) अंतर्गत **मैपिंग** करने का प्रस्ताव प्रशाखा–2 के वरीय पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, BSPRI के माध्यम से उपस्थापित किया जाये। (iv) विभागीय संकल्प संख्या–5749 दिनांक 24.09.2020 के आलोक में BSPRI के **पदाधिकारियों / कर्मचारियों का पारिश्रमिक (Remuneration)** के बिन्दु पर समीक्षा हेतु **प्रस्ताव** प्रशाखा–2 के वरीय पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, BSPRI के माध्यम से उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–2 एवं बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
12	**Tally के माध्यम से Accounting एवं Financial Management के लिए निविदा।**	(i) Tally के माध्यम से Accounting एवं Financial Management के लिए निविदा तैयार कर Financial Clause पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार का मंतव्य एवं निविदा की Legal Vetting Legal Advisor/ Consultant से कराने के पश्चात् उपस्थापित **नहीं किया जा सका है**। उक्त निविदा **एक सप्ताह के अंदर** निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाये। (ii) अंकेक्षकों के Restructuring हेतु प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन के लिए उपस्थापित करें। (iii) बिहार पंचायत राज अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 अंतर्गत अंकेक्षकों के पद का अनुमान्य वेतन लेवल–7 पर पुनरीक्षण का प्रस्ताव उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–7)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(मनोज कुमार)
सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/ 9011 /पं०रा०   पटना, दिनांक 17/7/2025

प्रतिलिपिः विशेष सचिव/निदेशक/परियोजना निदेशक/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी अनुश्रवण कोषांग/राज्य परियोजना प्रबंधक, मानव संसाधन–सह–प्रशासन, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना/श्रीमती रंजना कुमारी, आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/ 9011 /पं०रा०   पटना, दिनांक 17/7/2025

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/ 9011 /पं०रा०   पटना, दिनांक 17/7/2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना